प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत् बिहार राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्यों, शक्तियों तथा सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 के धारा 16 के तहत् की जाती है। इस प्रतिवेदन में बिहार सरकार के वाणिज्य–कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस एवं अन्य कर भिन्न प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं, जो वर्ष 2013–14 की अवधि के दौरान लेखाओं के नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में देखे गये, साथ ही साथ उन मामलों को भी सम्मिलित किया गया है, जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आये किन्तु पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उन्हें प्रतिवेदित नहीं किया जा सका; वर्ष 2013–14 के आगे की अवधि के मामले भी, जहाँ आवश्यक था, शामिल किये गये हैं।

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।